NOTICE FOR INVITING QUOTATION

Quotation are invited for printing of different passes for the use of High Court, Lucknow, Lucknow Bench. Sample of passes are attached herewith.

The required quantity are given as under-

S. No.	Type of Pass	Quantity(in numbers)	
1	Law Intern (Green Color)	300	
2	A.O.R. Advocates (Black Color)	1000	
3	Vender Typists and others (Brown Color)	200	
4	A.G. Offices/C.S.C.Office (Orange Color)	500	
5	U.P.R.N.N. (Pink Color)	200	
6	Departmental Pairavi (Blue Color)	200	

On the proforma attached as Annexure 'A', quotations can be submitted in the office of **Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow** upto **03.04.2017, 3:00 p.m.**.

Section Officer Stationary Section

Proforma

1.	Name of the Firm:	
2.	Name of Proprietor	
3.	Address	
4.	Phone Nos	
5.	Trade Tax/Vat Registration No (Please enclose Photocopy)	


6. Name of Authorized person with phone number

S. No	Type of Pass	Quantity(in numbers)	Rates
1	Law Intern (Green Color)	300	
2	A.O.R. Advocates (Black Color)	1000	
3	Vender Typists and others (Brown Color)	200	
4	A.G. Offices/C.S.C. Office (Orange Color)	500	
5	U.P.R.N.N. (Pink Color)	200	
6	Departmental Pairavi (Blue Color)	200	

Date:


(Authorized Signatory) Seal:

....



Enclosur Getwa

Pink Cards for UPRNN



नियम

- इस प्रवेश-पत्र के खोने, चोरी या नष्ट हो जाने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए। दूसरा प्रवेश-पत्र निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही जारी होगा। 2. स्थानन्तरण या मान्य अवधि समाप्त होने पर प्रवेश-पत्र सक्षम
- अधिकारी को वापस कराना अनिवार्य है।
- इस प्रवेश-पत्र पर अनधिकृत रूप से कुछ लिखना/काट-छांट करना मना है।
- उच्चन्यायालय परिसर में हथियार, कैमरा, टेप-रिकार्ड ब्रिफ केस एवं बैग आदि ले जाना मना है।
- 5. निर्धारित शुल्क पर अनुमन्य। निर्गम तिथि..... .20

Enclos J

Card for Department Pairavi

क्रम सं ः उच्च न्यायालय प्रवेश-पत्र नाम..... कार्य..... सम्बन्ध..... फोन नं..... मान्य अवधि..... वरिष्ठ निबन्धक उच्च न्यायालय लखनऊ धारक के हस्ताक्षर

200

- नियम 1. इस प्रवेश-पत्र के खोने, चोरी या नष्ट हो जाने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए। दूसरा प्रवेश-पत्र निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही जारी होगा। 2. स्थानन्तरण या मान्य अवधि समाप्त होने पर प्रवेश-पत्र सक्षम अधिकारी को वापस कराना अनिवार्य है। 3. इस प्रवेश-पत्र पर अनधिकृत रूप से कुछ लिखना/काट-छांट करना मना है। 4. उच्चन्यायालय प्रायस के नियन्त

- 4. उच्चन्यायालय परिसर में हथियार, कैमरा, टेप-रिकार्ड ब्रिफ केस एवं बैग आदि ले जाना मना है।
- निर्धारित शुल्क पर अनुमन्य। निर्गम तिथि......
- 20